

बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड),
पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 07/2012, बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त 06 (छ.) पदों पर नियुक्ति हेतु सुधारणा उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र म आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन अनुमान्य 06 (छ.) पदों में से अनारक्षित को 01 (एक), अनुसूचित जाति को 03 (तीन) (बैकलॉग) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 02 (दो) (बैकलॉग) पद अनुमान्य हैं। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

सरकारी सेवकों को आवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसरित कराकर देना होगा।

2. वेतनमान – पी.डी.–2, 9300–34800/-, ग्रेड वेतन – 4200/-
3. **शैक्षिक योग्यता :** स्नातक या इसके समकक्ष, आशुलिपि हिन्दी – 150–180 शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि अंग्रेजी – 100 शब्द प्रति मिनट, टक्कण गति – हिन्दी एवं अंग्रेजी – 35 शब्द प्रति मिनट वांछनीय है।
4. उम्र सीमा: दिनांक 01.04.2011 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम, अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की नियन्त्रण सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा / समर्वा में जाने के लिए अधिकतम आयु रीमा में 05 (पाच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सेनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बाशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. परीक्षा को प्रकृति – प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी तथा नियांसित मापदंड के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को टक्कण जाँच परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपि हिन्दी एवं आशुलिपि अंग्रेजी की परीक्षा 5–5 मिनट की होगी। आशुलिपि हिन्दी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों एवं आशुलिपि अंग्रेजी की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी। श्रुतिलेखन का हिन्दी में अनुवादित टक्कण हेतु 70 (सतर) मिनट एवं श्रुतिलेखन का अंग्रेजी में अनुवादित टक्कण हेतु 45 (पैंतालिस) मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। हिन्दी एवं अंग्रेजी टक्कण जाँच परीक्षा 35–35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–10 / परी. –1049/77 कां.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10–10 मिनट की होगी, एवं टक्कण में भी हुई गलतियों में 1½ (डेंड) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। उक्त टक्कण जाँच परीक्षा साधारण टक्कण यंत्र पर ही ली जाएगी।

6. मेधा सूची तैयार करने का आधार – हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि के अनुवादित टॉक्ट क्षेत्रों की शुद्धता के आधार पर सफल उम्मीदवारों की ही टक्कण जाँच परीक्षा ली जाएगी एवं टक्कण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से ही श्रुतिलेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) के अनुवादित टक्कण की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी।

आयोग की प्रक्रिया नियमावली, 1996 के अध्याय – IV के नियम– 04 के उप नियम – (3)(q) में किए गए प्रावधानानुसार उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुधारणा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए सामान्य ज्ञान विषय की 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रारभिक परीक्षा ली जाएगी।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

7. प्रविधि:

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। **निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविधियाँ नीले/काले बॉल प्याइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ ऑवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

- (i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय—

सि	न	ि	ग	्धा
----	---	---	---	-----
- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
- (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 2 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
- (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें। उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायगा।
- (v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (vi) क्रमांक 8(i) “**शैक्षिक योग्यता**” के अधीन **‘प्राप्तांक’** एवं **प्रतिशत ‘पूर्णांक’** के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्राप्तिशत को नहीं जोड़ें।
- (vii) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

8. फोटोग्राफ़:

- आवेदन–पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षराशः पालन करें। **फोटो स्ट्रेपल न करें** या सेलोटेप से न साठें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खीचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रामाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

9. लिफाफ़ा:

- (i) लिफाफ़ा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।
- (ii) विहित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, चैक्सिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति (अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रामाणित हों, की प्रतियाँ अनिवार्य रूप से अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
- (iii) **16×10 सें.मी.** का स्वपता लिखित दो लिफाफ़ा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25–25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

10. आरक्षण:

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अस्थीर्य आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित को उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति/प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

11. शुल्कः

- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/– (पचहत) रुपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रुपये; कुल 125/– (एक सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक अंफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक प्रति (**BSPSC's Copy**) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (**Depositor's Copy**) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. अन्यः

- अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं हागा।

13. अंतिम तिथि:

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि मंगलवार, दिनांक 30.10.2012 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कर्तव्य जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना